

## न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा  
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या  
मैनुअल नं. 79/प्रा.पत्र/2024  
(GCMS No. 2024/128)

तारीख दायरा  
20.08.2024

तारीख निर्णय  
13.11.2024

राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

पांच्या आ. रामा जाति भील,  
निवासी ग्राम गणेशपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।  
अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी पांच्या पुत्र रामा भील को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 104 रकबा 1.0198 हैक्टेयर वाकेग्राम गणेशपुरा आवंटन आदेश दिनांक 29.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 79/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/128 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न ग्रामवासियान्, हल्का पटवारी, भू.अभिलेख निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार डाबी की संयुक्त रिपोर्ट अनुसार पांच्या आ. रामा भील की मृत्यु हो चुकी है एवं ग्रामवासियों द्वारा उसके वारिसान की स्पष्ट जानकारी नहीं होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के वारिसान की सुनवाई किया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।


जिला कलेक्टर; बून्दी

तत्पश्चात बहस परोकार सरकार सुनी गयी।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये गये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी गैर खातेदार एवं उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, अपितु उक्त भूमि पर मौके पर पत्थर (मलबा) पड़े हुये है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि पांच्या आ. रामा जाति भील निवासी ग्राम गणेशपुरा को दिनांक 29.11.1975 को भूमि खसरा सं. 104 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा वाकेग्राम गणेशपुरा का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम गणेशपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 104 रकबा 1.0198 हैक्टेयर पर अप्रार्थी पांच्या पुत्र रामा जाति भील गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थना पत्र के संलग्न ग्रामवासियान, हल्का पटवारी, भूअभिलेख निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार डाबी की संयुक्त रिपोर्ट अनुसार पांच्या पुत्र रामा भील की मृत्यु हो चुकी है एवं ग्रामवासियों के अनुसार उसके वारिसान की स्पष्ट जानकारी नहीं हो पायी है। इस प्रकार वारिसान की जानकारी नहीं होने के कारण प्रकरण में मृतक अप्रार्थी के कायम मुकाम बनाये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि पर मौके पर पत्थर (मलबा) पड़े हुये होना अंकित है। इससे उक्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं होना प्रकट होता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। जबकि इस प्रकरण में आवंटी या उसके वारिस का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होना, आवंटी का आवंटित भूमि पर 48 वर्षो तक गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड रहना तथा आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान की जानकारी के अभाव में राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि मृतक व्यक्ति के नाम ही दर्ज रेकार्ड होना, उक्त भूमि पर मौके पर पत्थर (मलबा) पड़े हुये होना, अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग होना आदि तथ्यो से आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित है। ऐसे में उक्त आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।

  
जिला कमिश्नर; बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार एवं विधिक प्राधान्यों की अनुपालना में उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी पंच्या आ. रामा जाति भिल निवासी ग्राम गणेशपुरा को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 104 रकबा 6 बीघा 07 बिरसा (हाल रकबा 1.0198 हैक्टेयर) वाले ग्राम गणेशपुरा दिनांक 29.11.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायक दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरुद्ध अतिक्रमी की हैसियत से बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल कर्त करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 13.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)  
भिला कलेक्टर, बून्दी  
जिला कलेक्टर, बून्दी

